

# राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी

## निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

(स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान)  
(फोन नं. 0141-2225532, 2222452 फैक्स नं. 0141-2221792)

क्रमांक : एड्स/संस्था/विविध (48)/2011/343<sup>o</sup>

दिनांक : 29-6-11

### आदेश

सोसायटी के आदेश क्रमांक एड्स/संस्था/विविध (48)/2011/2151 दिनांक 31.03.11, के द्वारा राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी जयपुर के अधीन एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एसटीडी क्लिनिक्स में अनुबंध पर कार्यरत निम्न परामर्शदाताओं (काउन्सलरों) के अनुबंध की सेवा अवधि दिनांक 01.04.11 से 30.06.11 तक के लिए बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान गई थी।

अब उक्त सेवा अवधि को पुनः उनके वर्क परफार्मेंस के आधार पर दिनांक 01.07.11 से 31.03.12 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	संस्थान का नाम	अनुबंधित परामर्शदाताओं का नाम	कार्यग्रहण तिथि
1	जिला अस्पताल, अलवर	रांजीव कुमार	20.05.09
2	जिला अस्पताल, भीलवाड़ा	तुषार रूपावत	24.09.09
3	जिला अस्पताल, बूंदी	मनीष कुमार	22.05.09
4	महिला चिकित्सालय, जयपुर	पूजा गाहेश्वरी	04.03.09
5	जिला अस्पताल, जालौर	जीतेन्द्र कुमार शर्मा	29.06.09

नोट:- अनुबंध पर कार्यरत कार्मिक जिसकी उम्र 62 वर्ष से अधिक हो गई है, उसकी अभिवृद्धि नहीं मानी जावे।

उक्त कार्मिकों को बढ़ाई गई अवधि के लिए इस कार्यालय की कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित अनुबंध पत्र (जो पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है) राशि रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापन पश्चात् निष्पादित करना अनिवार्य होगा। उक्त सभी कार्मिकों के अनुबंध निष्पादन पश्चात् संबंधित कार्यालय प्रभारी अपने कार्यालय रिकार्ड में रखेंगे।

परियोजना निदेशक

क्रमांक : एड्स/संस्था/विविध (48)/2011/343<sup>o</sup>

दिनांक : 29-6-11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 अधीक्षक .....
- 2 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी .....
- 3 संयुक्त निदेशक (वित्त), राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर को सूचनार्थ।
- 4 संयुक्त निदेशक (बेसिक सर्विसेज), राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर।
- 5 एसटीडी क्लिनिक प्रभारी अधिकारी .....
- 6 आदेश पत्रावली।

परियोजना निदेशक